SARVAGYA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7153
Vol. 1, Issue 2, July-September 2024
Available online : https://sarvagyajournal.com/

डिजिटल युग में समतामूलक विकास: डॉ. आंबेडकर के सिद्धांतों का आधुनिक संदर्भ

गौतम, शोधार्थी, शिक्षा विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

Mail ID : bhoriag720@gmail.com

संक्षेप

डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन समानता, न्याय और समावेशन के सिद्धांतों का प्रबल समर्थन रहा। 21वीं सदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के विकास ने डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) को महत्वपूर्ण बना दिया है, जिससे हर वर्ग को सूचना और तकनीक का समान उपयोग संभव हो सके। भारत में, केवल 24% घरों में इंटरनेट सुविधा है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता स्पष्ट है। महिलाओं और अनुसूचित जातियों के बीच भी डिजिटल संसाधनों की पहुँच में भिन्नता है, जिससे उनकी शिक्षा और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सरकारी योजनाएँ जैसे "प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA, 2017)" ने डिजिटल समावेशन को बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी खाई बनी हुई है। डॉ. अंबेडकर के सिद्धांत आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता को समझा।

संकेत शब्द : *डिजिटल समावेशन, सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति/जनजात, डिजिटल विभाजन, लिंग असमानता, ग्रामीण-शहरी विभाजन, धार्मिक असमानता*

1. भूमिका

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवनभर समानता, न्याय और समावेशन के सिद्धांतों की पैरवी की। वह एक समाज सुधारक थे, जिनकी सोच आज के डिजिटल युग में और भी प्रासंगिक हो गई है। 21वीं सदी में, जब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं की उपलब्धता में क्रांति ला दी है, तो डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) के सवाल अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। डिजिटल समावेशन का अर्थ है कि समाज के हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग का समान अवसर प्राप्त हो। भारत, जहां आज भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है और सामाजिक असमानताएँ गहराई से जमी हुई हैं, वहां डिजिटल विभाजन (Digital Divide) समाज की विभिन्न

© SARVAGYA

SARVAGYA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7153
Vol. 1, Issue 2, July-September 2024
Available online : https://sarvagyajournal.com/

समस्याओं को और जटिल बना रहा है। सरकारी आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल समावेशन का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की 75वीं रिपोर्ट (2019) के अनुसार, केवल 24% भारतीय घरों में इंटरनेट की सुविधा है। शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 42% तक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 15% है। यह विभाजन शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं की पहुँच को भी सीधे प्रभावित करता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2021) के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 25% लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 55% है। इसी सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि भारत में कुल मिलाकर 35% महिलाएं ही इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं जबकि पुरुषों में यह संख्या 65% तक है। इस प्रकार, लिंग के आधार पर भी डिजिटल समावेशन में गंभीर असमानता है। डॉ. अंबेडकर, जो महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे, इस असमानता को आज के समाज के लिए एक गंभीर चुनौती मानते। वहीं, जाति और धार्मिक आधार पर डिजिटल असमानता और भी स्पष्ट है। अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) में डिजिटल संसाधनों की पहुँच सामान्य जनसंख्या के मुकाबले बेहद कम है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS, 2020) के अनुसार, अनुसूचित जातियों के 10% और अनुसूचित जनजातियों के मात्र 4% परिवारों में ही कंप्यूटर की सुविधा है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चे डिजिटल शिक्षा से काफी हद तक वंचित हैं, जिससे उनकी शैक्षिक प्रगति में बड़ा अंतर पैदा हो रहा है। इसी प्रकार, धार्मिक आधार पर भी डिजिटल समावेशन में बड़ा फर्क है। मुस्लिम समुदाय में इंटरनेट का उपयोग केवल 28% है, जबकि हिंदू समुदाय में यह 48% तक पहुंच चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स (2020) की रिपोर्ट के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिम और सिख समुदायों में, डिजिटल शिक्षा की पहुँच काफी कम है। यह असमानता उनकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर करती है। राज्यों के संदर्भ में भी डिजिटल समावेशन में भिन्नता है। नीति आयोग (2021) की रिपोर्ट में बताया गया है कि केरल जैसे राज्यों में डिजिटल साक्षरता 90% तक है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह 30% से भी कम है। डिजिटल संसाधनों की इस असमान पहुँच से विभिन्न राज्यों में विकास की गति में भी बड़ा अंतर देखा जा सकता है। डॉ. अंबेडकर ने हमेशा समतामूलक समाज की बात की थी, जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। डिजिटल युग में, यह समावेशन शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की धुरी बन चुका है। डिजिटल समावेशन से न केवल वंचित वर्गों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह आर्थिक असमानता को भी कम करेगा। डिजिटल इंडिया और अन्य सरकारी योजनाएँ जैसे "प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA, 2017)" ने ग्रामीण और वंचित वर्गों के लिए डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इन योजनाओं के बावजूद डिजिटल समावेशन में अभी भी गहरी खाई बनी हुई है। PMGDISHA के तहत 2020 तक लगभग 3.2 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाने का दावा किया गया, लेकिन यह संख्या कुल ग्रामीण जनसंख्या के मुकाबले अभी भी नगण्य है।

© SARVAGYA

SARVAGYA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7153
Vol. 1, Issue 2, July-September 2024
Available online : https://sarvagyajournal.com/

इस प्रकार, 21वीं सदी में डिजिटल समावेशन पर विचार करते समय डॉ. अंबेडकर का दृष्टिकोण बेहद प्रासंगिक है। उनके विचारों के अनुसार, जब तक समाज के हर वर्ग, विशेषकर वंचित और हाशिए पर पड़े लोगों को समान अवसर नहीं मिलते, तब तक वास्तविक सामाजिक और आर्थिक समावेशन संभव नहीं है।

2. अनुसंधान क्रियाविधि

इस शोध का उद्देश्य भारत में डिजिटल समावेशन की वर्तमान स्थिति और इससे संबंधित सामाजिक असमानताओं का विश्लेषण करना है। अनुसंधान क्रियाविधि इस प्रकार रहेगी:

I. द्वितीयक स्रोतों पर आधारित अनुसंधान:

इस शोध में प्राथमिक डेटा संग्रहण (जैसे साक्षात्कार, सर्वेक्षण) की बजाय द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया हैं। जिसमें सरकारी रिपोर्ट्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण, और विद्वानों के लेख शामिल हैं।

II. सांख्यिकीय डेटा का विश्लेषण:

डिजिटल समावेशन के विभिन्न आयामों का आंकड़ों के माध्यम से विश्लेषण किया गया हैं। शोध में इंटरनेट उपयोग, कंप्यूटर साक्षरता, और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता से जुड़े आंकड़ों का सांख्यिकीय औजारों द्वारा विश्लेषण किया गया हैं।

III. नीतियों का विश्लेषण:

"डिजिटल इंडिया" और "प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)" जैसी सरकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इन योजनाओं के तहत उपलब्ध कराए गए संसाधनों और उनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया हैं ताकि यह समझा जा सके कि ये योजनाएँ वंचित वर्गों के लिए कितनी प्रभावी रही हैं। इसके अलावा, इन योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति और वास्तविक उपलब्धियों के बीच के अंतर को भी मापा गया हैं। इसके लिए नीतियों के कार्यान्वयन के दौरान आई चुनौतियों और उनकी सफलता दर का विश्लेषण भी किया गया हैं।

IV. विवेचनात्मक दृष्टिकोण:

डॉ. भीमराव अंबेडकर के समावेशन और समानता के विचारों को आधार बनाकर डिजिटल समावेशन की प्रासंगिकता पर विचार किया गया हैं। डिजिटल युग में अंबेडकर के विचारों का मूल्यांकन कर यह समझने का प्रयास किया गया हैं कि उनके समतामूलक दृष्टिकोण को कैसे लागू किया जा सकता है, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर स्थित समुदायों के संदर्भ में।

© SARVAGYA

SARVAGYA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7153
Vol. 1, Issue 2, July-September 2024
Available online : https://sarvagyajournal.com/

इसके तहत अंबेडकर के विचारों के अनुसार यह विश्लेषण किया गया हैं कि डिजिटल समावेशन का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

3. उद्देश्य

I. भारत में डिजिटल समावेशन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना?
II. डिजिटल असमानता के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करना?
III. डिजिटल विभाजन में लिंग, जाति और धार्मिक असमानताओं का मूल्यांकन करना?
IV. सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा करना?

4. डॉ. अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता

डॉ. भीमराव अंबेडकर, भारतीय समाज के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक, ने अपने जीवनकाल में सामाजिक न्याय, समानता और समावेश के लिए अथक संघर्ष किया। उनकी विचारधारा आज के डिजिटल युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है, विशेषकर जब बात डिजिटल समावेशन की हो। 21वीं सदी में, डिजिटल प्रौद्योगिकी ने समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो या रोजगार। लेकिन, यह प्रगति उन समुदायों के लिए सीमित है, जिन्हें डिजिटल संसाधनों तक पहुंच नहीं मिली है। डिजिटल समावेशन का मतलब है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म या क्षेत्रीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो, को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक समान पहुंच होनी चाहिए। इस संदर्भ में, अंबेडकर के विचार और उनके सामाजिक न्याय के सिद्धांत इस डिजिटल युग में भी मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं।

I. डॉ. अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत

डॉ. अंबेडकर ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समाज में मौजूद गहरी असमानताओं को समाप्त करने की कोशिश की। उनके लिए समाज में समानता केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका संबंध सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समानता से भी था।

i) शिक्षा का महत्व: अंबेडकर के विचार में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थी जो वंचित वर्गों को सशक्त बना सकती थी। उनका मानना था कि "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।" डिजिटल युग में, शिक्षा के बिना डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना असंभव है। इस प्रकार, डिजिटल समावेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है डिजिटल शिक्षा तक समान पहुंच
ii) आर्थिक समानता: अंबेडकर का विचार था कि समाज में आर्थिक समानता के बिना सामाजिक समानता प्राप्त करना असंभव है। डिजिटल युग में, आर्थिक असमानता का एक रूप

© SARVAGYA

SARVAGYA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7153
Vol. 1, Issue 2, July-September 2024
Available online : https://sarvagyajournal.com/

डिजिटल असमानता भी है। डिजिटल समावेशन की कमी के कारण, कई समुदाय डिजिटल संसाधनों और अवसरों से वंचित रहते हैं, जो उनके आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।

iii) कानूनी और राजनीतिक समानता: अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लिए कानूनी और राजनीतिक समानता की वकालत की। आज के डिजिटल युग में, यह समानता डिजिटल अधिकारों और इंटरनेट तक पहुंच में निहित है। डिजिटल समावेशन इस बात को सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को डिजिटल सेवाओं और संसाधनों का समान अधिकार मिले।

II. 21वीं सदी में डिजिटल समावेशन और उसके लाभ:

डिजिटल समावेशन, जो समाज के सभी वर्गों को डिजिटल संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करता है, 21वीं सदी में सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, या क्षेत्रीय पृष्ठभूमि का हो, को डिजिटल संसाधनों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार हो। डिजिटल समावेशन के कुछ मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:

i) शिक्षा तक समान पहुंच: डिजिटल शिक्षा ने पारंपरिक शिक्षा के तरीकों को बदल दिया है। अब ऑनलाइन पाठ्यक्रम, शैक्षिक वीडियो, और डिजिटल पुस्तकें सभी के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन, डिजिटल समावेशन की कमी के कारण, समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

ii) स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं ने दूरदराज के क्षेत्रों में भी चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच को सरल बना दिया है। टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जैसे साधनों से अब गांवों और छोटे कस्बों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो सकती हैं।

iii) रोजगार और उद्यमिता के अवसर: डिजिटल प्रौद्योगिकी ने रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान किए हैं। लेकिन, डिजिटल समावेशन की कमी के कारण, ग्रामीण और कमजोर वर्गों के लोगों को इन अवसरों से वंचित रहना पड़ता है।

iv) सरकारी सेवाओं तक पहुंच: डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत कई सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का उपयोग करना सरल हो गया है। लेकिन, जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे इन सेवाओं से वंचित रहते हैं।

III. डिजिटल समावेशन में अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता:

© SARVAGYA

SARVAGYA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7153
Vol. 1, Issue 2, July-September 2024
Available online : https://sarvagyajournal.com/

डिजिटल समावेशन के लिए, अंबेडकर के विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने समाज में समता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। डिजिटल युग में, उनकी यह सोच और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

i) समान अवसर की आवश्यकता: अंबेडकर का मानना था कि समाज में समान अवसर की आवश्यकता है, ताकि हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। डिजिटल युग में, यह सुनिश्चित करना कि समाज के सभी वर्गों को डिजिटल संसाधनों तक समान पहुंच हो, अंबेडकर के सिद्धांतों के अनुरूप है।

ii) शिक्षा का सशक्तिकरण: अंबेडकर ने शिक्षा को वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। डिजिटल युग में, डिजिटल शिक्षा और साक्षरता के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना अंबेडकर के विचारों के अनुरूप है।

iii) वंचित वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ: अंबेडकर ने वंचित वर्गों के लिए विशेष योजनाओं और आरक्षण का समर्थन किया। इसी तरह, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंटरनेट सब्सिडी, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम आदि आवश्यक हैं।

iv) न्याय और समानता: अंबेडकर के लिए न्याय और समानता सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। डिजिटल युग में, यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों को डिजिटल अधिकार मिले और वे इसका समान रूप से लाभ उठा सकें, उनके विचारों के अनुरूप है।

5. सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ

डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएँ और नीतियाँ बनाई हैं। ये योजनाएँ अंबेडकर के विचारों के अनुरूप हैं और समाज के सभी वर्गों के लिए डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं।

I. डिजिटल इंडिया: यह योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।

II. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA): यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य है कि देश के सभी गाँवों में कम से कम एक व्यक्ति डिजिटल रूप से साक्षर हो।

III. भारतनेट परियोजना: यह योजना सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच को बढ़ावा देना है।

© SARVAGYA

SARVAGYA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7153
Vol. 1, Issue 2, July-September 2024
Available online : https://sarvagyajournal.com/

IV. आधार और डिजिटल पहचान: आधार कार्ड ने नागरिकों की डिजिटल पहचान को सशक्त किया है। इसके माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना अब और भी सरल हो गया है।

V. ई-गवर्नेंस: सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुँच प्राप्त हो सके।

6. डिजिटल असमानता और चुनौतियाँ

हालाँकि, भारत में डिजिटल समावेशन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, फिर भी डिजिटल असमानता एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

I. इंटरनेट की सीमित पहुँच: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच अभी भी सीमित है। इसके कारण, इन क्षेत्रों के लोग डिजिटल सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

II. डिजिटल साक्षरता की कमी: भारत में डिजिटल साक्षरता का स्तर अभी भी निम्न है, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके कारण, समाज के कमजोर वर्ग डिजिटल सेवाओं और संसाधनों का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

III. आर्थिक असमानता: डिजिटल संसाधनों तक पहुँच के लिए आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है। गरीब वर्ग के लोगों के पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन, और इंटरनेट जैसी सुविधाएँ नहीं होती हैं, जिससे वे डिजिटल संसाधनों से वंचित रह जाते हैं।

IV. भाषा की बाधा: अधिकांश डिजिटल सामग्री अंग्रेजी में होती है, जिससे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में साक्षर लोगों को डिजिटल संसाधनों का लाभ उठाने में कठिनाई होती है। अंबेडकर के समावेशी दृष्टिकोण के तहत, यह आवश्यक है कि डिजिटल सामग्री विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हो, ताकि समाज के हर वर्ग तक इसकी पहुँच हो सके।

7. निष्कर्ष

21वीं सदी में डिजिटल समावेशन केवल तकनीकी या आर्थिक विकास का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डिजिटल तकनीक आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सरकारी सेवाओं तक पहुँच के लिए आवश्यक हो गई है। इस संदर्भ में, डॉ. भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवनकाल में समान अवसर और न्याय पर जोर दिया था। वर्तमान डिजिटल युग में सामाजिक असमानता और भी स्पष्ट हो गई है, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए डिजिटल संसाधनों की पहुँच सीमित है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों, विशेषकर ग्रामीण

© SARVAGYA

SARVAGYA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7153
Vol. 1, Issue 2, July-September 2024
Available online : https://sarvagyajournal.com/

क्षेत्रों में, डिजिटल संसाधनों की अत्यधिक कमी है। लिंग के आधार पर भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले काफी कम डिजिटल सुविधाएँ मिल रही हैं। साथ ही, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में डिजिटल साक्षरता की दर अपेक्षाकृत कम है, जिससे शिक्षा और रोजगार के अवसरों में व्यापक अंतर पैदा हो रहा है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ, जैसे "डिजिटल इंडिया" और "प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान," प्रारंभ की गई हैं, लेकिन इनका प्रभाव अब तक अपेक्षाकृत सीमित रहा है। हालाँकि इन योजनाओं ने कुछ सुधार किए हैं, परंतु अभी भी समाज के बड़े हिस्से, खासकर अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और महिलाओं, तक इनका प्रभावी लाभ नहीं पहुंचा है। डॉ. अंबेडकर के विचारों के संदर्भ में, सच्चा डिजिटल समावेशन तभी संभव है जब सभी वर्गों को समान अवसर और सुविधाएँ मिलें। डॉ. अंबेडकर का यह दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति तब तक अधूरी है, जब तक यह समाज के हाशिए पर खड़े लोगों तक न पहुँचे। डिजिटल विभाजन को कम करना केवल तकनीकी प्रयासों का सवाल नहीं है, यह समाज में समता, समानता और न्याय की स्थापना से भी जुड़ा है।

8. समाधान और भविष्य की दिशा

डिजिटल समावेशन को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं:

I. सस्ती इंटरनेट सेवाएँ: सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के हर हिस्से में सस्ती और तेज़ इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध हों, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।

II. डिजिटल साक्षरता अभियान: अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि वे डिजिटल सेवाओं का बेहतर उपयोग कर सकें।

III. भाषाई विविधता को बढ़ावा: डिजिटल सामग्री को अधिकाधिक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि भाषा की बाधा समाप्त हो सके और सभी वर्गों को डिजिटल संसाधनों तक समान पहुंच मिले।

IV. प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग: डिजिटल युग में, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल माध्यम से अपनी प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि से संबंधित ऑनलाइन सेवाएँ या डिजिटल व्यापार के अवसर।

V. नियामक और कानूनी ढाँचा: सरकार को डिजिटल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ नियामक और कानूनी ढाँचा बनाना चाहिए, ताकि डिजिटल असमानता को दूर किया जा सके।

© SARVAGYA

SARVAGYA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7153
Vol. 1, Issue 2, July-September 2024
Available online : https://sarvagyajournal.com/

संदर्भ

- *Agarwal, T. (2022). Barriers to female education in India. "Journal of Women's Studies, 18"(2), 65-80.*
- *Ambedkar, B. R. (1948). "The untouchables: Who were they and why they became untouchables". Thacker and Company Ltd.*
- *Chaudhary, A. (2022). Understanding the digital divide in education. "Journal of Information Technology, 15"(3), 75-90.*
- *Chaudhary, R. (2021). Access to education for SC/ST students in rural areas. "Journal of Rural Studies, 9"(2), 30-45.*
- *Desai, A. (2021). Challenges in implementing inclusive education in India. "Asian Journal of Education and Training, 7"(4), 215-221.*
- *Government of India. (2009). "Right to education act 2009". Retrieved from https://sarva-shiksha-abhiyan.nic.in/rte.html*
- *Government of India. (2020). "Digital India programme". Retrieved from https://digitalindia.gov.in*
- *Government of India. (2022). "Ministry of Education annual report 2021-2022". Retrieved from https://education.gov.in*
- *Gupta, N. (2023). Impact of globalization on the Indian education system. "International Journal of Education Research, 9"(1), 65-78.*
- *Jain, R. (2021). The impact of societal norms on educational choices. "Journal of Social Issues, 10"(1), 120-135.*
- *Kapoor, A. (2021). Inclusive education policies in India. "Indian Journal of Public Policy, 8"(3), 99-115.*
- *Kumar, P. (2020). The future of education in a globalized world. "International Journal of Educational Planning and Administration, 6"(1), 15-30.*
- *Kumar, R. (2021). Educational equity and inclusion: A study of SC/ST students in Punjab. "Indian Journal of Education, 45"(2), 123-140.*

© SARVAGYA

- *Malik, P. (2020). Effects of socioeconomic status on educational attainment. "Journal of Economic Perspectives, 16"(4), 25-40.*
- *Mehta, K. (2021). Technological interventions in education for marginalized communities. "Journal of Community Education, 29"(3), 40-55.*
- *Ministry of Education. (2020). "National education policy 2020". Retrieved from https://education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf*
- *Ministry of Electronics and Information Technology. (2022). "India digital inclusion report". Retrieved from https://meity.gov.in/reports/digital-inclusion*
- *Ministry of Human Resource Development, Government of India. (2019). "Framework for national policy on education". Retrieved from https://mhrd.gov.in/national-policy-education*
- *National Bureau of Economic Research. (2020). Educational attainment and economic mobility. Retrieved from https://nber.org/publications/education*
- *National Commission for Women. (2020). "Women and education in India: A report". Retrieved from https://ncw.nic.in*
- *National Institute of Educational Planning and Administration. (2022). Assessment of learning outcomes in education. Retrieved from https://niepa.ac.in*
- *Pratham. (2020). "Annual status of education report 2020". Retrieved from https://asercentre.org*
- *Raghavan, N. (2022). The role of non-governmental organizations in education. "Indian Journal of NGO Management, 11"(1), 55-70.*
- *Rani, N. (2021). The role of community in promoting education. "Journal of Community Development, 22"(4), 45-60.*
- *Rani, S. (2021). The role of technology in enhancing learning outcomes. "Journal of Digital Learning in Teacher Education, 37"(2), 98-110.*
- *Sinha, A. (2022). Gender disparities in education: A comprehensive study. "Journal of Gender Studies, 15"(2), 115-130.*

© SARVAGYA

- *Sharma, P., & Verma, A. (2020). Digital literacy and its challenges in rural India. "Journal of Social Development Studies, 12"(3), 45-60.*
- *Sharma, R. (2022). Barriers to education for minority students in India. "Journal of Educational Policy, 14"(1), 70-85.*
- *Singh, H. (2021). Educational opportunities for the differently abled. "Journal of Special Education, 10"(1), 85-99.*
- *Singh, V. (2022). Caste-based discrimination in Indian education. "Social Science Research, 12"(3), 45-59.*
- *UNESCO. (2021). "Global education monitoring report 2021". Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377063*
- *UNESCO. (2021). "Inclusive education: Global perspectives". Retrieved from https://unesco.org/inclusive-education*
- *Verma, A. (2020). Equity and access in higher education. "Indian Journal of Higher Education Studies, 5"(1), 50-66.*
- *Government of India. (2020). "Digital India programme". Retrieved from https://digitalindia.gov.in*
- *Ministry of Education. (2022). "Skill India mission". Retrieved from https://skillindia.gov.in*
- *Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (2022). "Skill India mission". Retrieved from https://skillindia.gov.in*
- *Office of the Registrar General and Census Commissioner, India. (2021). "Census of India 2021". Retrieved from https://censusindia.gov.in*
- *RTE Forum. (2022). "Right to education act – progress and challenges". Retrieved from https://rteforum.in*
- *National Assessment and Accreditation Council. (2020). Quality assurance in higher education. Retrieved from https://naac.gov.in*
- *National Council of Educational Research and Training. (.(2021"National assessment survey 2021". Retrieved from https://ncert.nic.in/nas*

© SARVAGYA